

विधान सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड  
(संसदीय अनुभाग)

संख्या: 612/वि0स0/36/संसदीय/2014

देहरादून, दिनांक: 19 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना/प्रकीर्ण

उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष 2014 के तृतीय सत्र के दिनांक 24 नवम्बर 2014 के उपवेशन में माननीय अध्यक्ष द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा ने उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-188 के अन्तर्गत विधान सभा की एक समिति का गठन किया है। यह समिति विधान सभा के एक माननीय सदस्य के विरुद्ध कथित आरोपों के सम्बन्ध में एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समाचार चैनल द्वारा प्रसारित समाचार एवं आनुषंगिक विषयों की जाँच करके अपना प्रतिवेदन माननीय अध्यक्ष को दो माह के अन्तर्गत प्रस्तुत करेगी।

समिति में निम्न माननीय सदस्य होंगे।

1	प्रो० जीतराम	सभापति
2	श्री ललित फर्स्वाण	सदस्य
3	श्री मदन कौशिक	सदस्य

आज्ञा से,




(जगदीश चन्द्र)

सचिव।

संख्या : 513 / वि०स० / 36 / संसदीय / 2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

- 1 माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव को मा० अध्यक्ष की सूचनार्थ,
- 2 माननीय मुख्य मंत्री के निजी सचिव को मा० मुख्य मंत्री की सूचनार्थ
- 3 माननीय उपाध्यक्ष के वरिष्ठ निजी सचिव को मा० उपाध्यक्ष की सूचनार्थ,
- 4 माननीय नेता प्रतिपक्ष के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव को मा० नेता प्रतिपक्ष की सूचनार्थ,
- 5 समस्त मंत्रियों के निजी सचिव को मा० नेता प्रतिपक्ष की सूचनार्थ,
- 6 उत्तराखण्ड विधान सभा के समस्त मा० सदस्यगण,
- 7 सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड,
- 8 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन,
- 9 समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन,
- 10 विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण,
- 11 संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर राजपत्र की 10 प्रतियां इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



(जगदीश चन्द्र)  
सचिव।

# विधान सभा सचिवालय

उत्तराखण्ड  
(संसदीय अनुभाग)

संख्या: ६९९/वि०स०/३६/संसदीय/२०१४

देहरादून, दिनांक: २७ फरवरी, २०१५

## अधिसूचना/प्रकीर्ण

विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या: ६१३/वि०स०/३६/संसदीय/२०१४, दिनांक १९ दिसम्बर, २०१४ के क्रम में अवगत कराना है कि एक माननीय सदस्य के विरुद्ध कथित आरोपों के संबंध में एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समाचार चैनल द्वारा प्रसारित समाचार एवं आनुषंगिक विषयों की जाँच विषयक समिति का कार्यकाल मा० अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा ने दिनांक १९ फरवरी, २०१५ के पश्चात् तीन माह तक के लिए बढ़ा दिया है।

आज्ञा से,

ह०/-

(जगदीश चन्द्र)  
सचिव।

संख्या /वि०स०/३६/स०/२०१४, तददिनांक।

प्रतिलिपि: - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित:-

१. मा० अध्यक्ष के निजी सचिव को मा० अध्यक्ष की सूचनार्थ,
२. मा० मुख्यमंत्री के निजी सचिव को मा० मुख्यमंत्री की सूचनार्थ,
३. मा० उपाध्यक्ष के वरिष्ठ निजी सचिव को मा० उपाध्यक्ष की सूचनार्थ।
४. मा० नेता प्रतिपक्ष के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव को मा० नेता प्रतिपक्ष की सूचनार्थ
५. समस्त मंत्रियों के निजी सचिव को मा० मंत्रियों की सूचनार्थ,
६. उत्तराखण्ड विधान सभा के समस्त मा० सदस्यगण,
७. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड,
८. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन,
९. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन,
१०. विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण।

(जगदीश चन्द्र)  
सचिव।